

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



Manish Kumar Pandey Joining Letter

| कार्यालय सचिव जनमागीदारी समिति | |
|--|--------|
| शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. | |
| क्रमांक 1199 / 0021 अनूपपुर, दिनांक 23 11 21 - | |
| पति. नामश्रीमनी स कुमार पाछे य पिता/पति भी उत्तर्यन्य कुमार पाछे या पता प्रार्टिशः ०७ शाहरील जिला स्टब्स्स | |
| विषय:—अतिथि विद्वानों को सत्र 2021-22 के लिए आमंत्रण। संदर्भ:1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.936/398/आउशि/शा-2/21 भोपाल दिनांक 30.06.2021 2.पत्र क्र.483/166/आईटी/आउशि/2021, मोपाल दिनांक11.11.2021 | |
| क्रिकार के प्रतिपालय में आपको जासकीय महाविद्यालय | 24 |
| अमंत्रित किया जाता है। | |
| यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:— 1. यह आमंत्रण सत्र 2021—22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/ कीडाधिकारी की पदस्थापना/नियुक्ति होने तक के लिए होगा। | |
| 2. आपको महाविद्यालय में तीन दिवस के अदर (कार्यालयान समय) तर्प प्राथमार प्रदेश | |
| निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। 3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडिलय न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में मी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यमार में | |
| वृहिम्भेजा सकती है। 4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 के अनुसार | |
| होगा। 5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जावेगा। 6. सह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा | |
| सकेगा। 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंध प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवाण में जांपाल के आदेश एफ 1—42/2017/38—1 भोपाल 8. आपको मठप्रठ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एफ 1—42/2017/38—1 भोपाल विनाक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाण देनी होगी। विनाक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित | THE ME |
| 9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। | |
| 9. यह आमंत्रण माननाय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। प्राचार्यः अस्ति कि प्राचिके। जनमा. चिमिति प्राचिके। अनुपपुर अनुपपुर, दिनांक 23/11/2/ | |
| 11200 1 2021 Sign Anuppur (M.F.) अनुपपुर, दिनांक 23/11/2/ | |
| पृ.क. / / 200 / 202 / अनूपपुर, दिनांक 93/11/21 प्रतिलिपि— 1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा म.प्र.। | |
| कार्यालयीन प्रति। | · · · |
| प्राचार्यः 🖟 अध्याद्याः | |
| जनभा. सिमिति शाः तुलसी महावि अनूपपुर | |
| Tulei College Anuppur | |
| Distt. Anuppur (M.P.) | |
| | 100 |